

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

दिनांक: 15 अप्रैल, 2020

विषय:- साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि एवं अन्य मद हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सा.एवं वै.शि./1-3/2020-21 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1- 149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-105-अनौपचारिक शिक्षा- 11-साक्षर भारत मिशन-2012" योजना के क्रियान्वयन के लिए निदेशालय स्थापना के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रु. 2,00,52,000.00(रुपये दो करोड़ बावन हजार मात्र) के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार रु. 2,00,52,000.00(रुपये दो करोड़ बावन हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि निम्नलिखित निर्धारित मदों पर मदवार व्यय की जायेगी:-

धनराशि (लाख रुपये में)

योजना का नाम लेखाशीर्षक सहित (अनुदान संख्या-71) लेखाशीर्षक- "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-105- अनौपचारिक शिक्षा- 11-साक्षर भारत मिशन-2012"	बजट प्राविधान वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु प्रस्ताव
01-वेतन	115.00	115.00
03-मंहगाई भत्ता	28.75	28.75
04-यात्रा व्यय	2.50	2.50
06-अन्य भत्ते	2.00	2.00
07-मानदेय	0.60	0.60
08-कार्यालय व्यय	5.00	5.00
09-विद्युत् देय	7.00	7.00
10-जलकर/जलप्रभार	3.00	3.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.50	1.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.50	2.50
13-टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	4.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.60	0.60
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1.00	1.00
29-अनुरक्षण	3.00	3.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.85	0.85

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	1.00
49-चिकित्सा व्यय	3.20	3.20
51-वर्दी व्यय	0.02	0.02
55-मकान किराया भत्ता	8.00	8.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	2.00	2.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7.00	7.00
योग	200.52	200.52

2- उक्त धनराशि रु. 2,00,52,000.00(रुपये दो करोड़ बावन हजार मात्र) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह की वास्तविक आवश्यकता की ही धनराशि को राजकोष से आहरित कर नियमानुसार योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मितव्ययिता के नियमों के अनुरूप व्यय की जायेगी। उक्त आहरित धनराशि का व्यय/उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण 31 मार्च 2021 से पूर्व शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के लेखा शीर्षक-"2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-105-अनौपचारिक शिक्षा- 11-साक्षर भारत मिशन-2012" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1- 149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। उक्त कार्यालय जाप की समस्त शर्तों का निदेशालय द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 1/ 2020/281(1)/अडसठ-2-20-200(146)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- शिक्षा निदेशक, बेसिक/माध्यमिक, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1/2
- 6- वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 7- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 सचिवालय।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद सिंह
उप सचिव।